[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) in the Chair.]

THE ARMED FORCES (SPECIAL POWERS) CONTINUANCE BILL, 1969

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH): Madam, I beg to move:

"That the Bill to continue the Armed Forces (Special Powers) Regulation, 1958, for a further period be taken into consideration."

The Bill seeks to continue the Armed Forces (Special Powers) Regulation, 1958, in the territory of Nagaland for a further period of three years. The Regulation is only an enabling one and empowers the Governor of Nagaland to declare the whole or any part of Nagaland as a disturbed area if, in his opinion, disturbed or dangerous conditions prevailing in the area necessitate the use of Armed Forces in aid of Civil power. It is only when such a declaration is made by the Governor in the official gazette that the substantive provisions of the Regulation come into force.

The Regulation confers special powers on Commissioned Officers, Warrant Officers and Non-Commissioned Officers not below the rank of Havildar, of the Armed Forces, to enable them to aid effectively the Civil power in the disturbed areas of Nagaland.

The Regulation was initially in force for a period of one year in Kohima and Mokokchung districts of the then Naga Hills-Tuensang Area. It was extended from time to time having regard to the circumstances prevailing in those areas. After the formation of the State of Nagaland on the 1st December, 1963 the Regulation was continued by Parliamentary Legislation. In 1966, while extending the duration of the Regulation for another year, it was made applicable also to Tuensang District of Nagaland, thus covering the entire State. The Regulation will cease to have effect on the 5th April, 1969. The object of the Bill is to continue the Regulation in the entire State of Nagaland for a further period of three years from the 5th April, 1969 to the 4th April, 1972, as the stage for dispensing with it has not yet been reached.

On this occasion the extension is sought for three years as the unusual situation obtaining in Nagaland specially the collusion of the Underground with China and Pakistan, can bring about circumstances which might require the exercise of the extraordinary powers conferred by the Regulation on the Armed Forces, on a long term basis to deal with the unlawful activities of the Underground.

A heartening feature of the situation in Nagaland has been the overwhelming support won by the ruling Naga Nationalist Organisation at the polls. This party supports the Agreement reached with the Naga leaders in 1960 which brought the State of Nagaland into being and rejects the demands and the methods of the Underground. In giving their votes to this party, the people have rejected the violent creed of the Underground and have reiterated their faith in the lawfully constituted Government of Nagaland. The Government of India will do everything in their power to land weight to the Government of Nagaland in their effort to restore peaceful conditions in Nagaland. The proposed Bill is a measure in that direction.

Sir, I move that the Bill be taken into consideration.

The question was proposed.

श्री निरंजन वर्मा (मध्य प्रदेश) : श्रीमन् हमारे मित्र ने इस साधारण से संशोधन के लिये अभी कुछ धाराओं में परिवर्तन का सुझाव रखा है। हमारी समझ में यह बात नहीं आई कि हमारे मित्र जब यह बात कहते हैं कि नागालैण्ड की स्थिति में सुधार होता चला जा रहा है तो यदि उसका सुधार हो रहा है तो एक वर्ष की अपेक्षा तीन वर्ष की अवधि रखने का कोई कारण नहीं है। नागालैण्ड में भारत सरकार की जितनी पालिसी है वह पालिसी प्रारम्भ से ही बिलकुल गलत तरीके पर चालू की जा रही है और उसका कारण यह है कि 1958 में जब यह कानून बना इस कानून के द्वारा यह सम्भावना व्यक्त की गई थी कि एक वर्ष के भीतर ही हम ऐसे समस्त

[श्री निरंजन वर्मा]

मिलिटरी के अधिकारियों, जिनका दरजा हवलदार से ऊपर का होगा, उन लोगों के लिये और वहां के सिविल अधिकारियों के लिये भी जब कभी आवश्यकता हो सहायता दे और उस सहायता से वहा के उपद्रवों को दबायेंगे। भारत शासन ने ऐसी आशा की थी कि एक वर्ष के भीतर वह उपद्रवों को दबा देगी। 1958 के पश्चात् फिर एक वर्ष के लिये इसको लागू किया, फिर एक वर्ष के लिये लागू किया और तब से लेकर आज तक बराबर एक-एक वर्ष के लिये उसको बढ़ाते चले गये और उनको आशा थी कि एक-एक वर्ष बढ़ाने के बाद वहां की उपद्रवग्रस्त स्थिति में अन्तर आ जायेगा और वहा के नागा साधारण तौर से भारत सरकार की इस राय को मान लेगे और अपने आप को हिन्दुस्तान का एक भाग मानने को तैयार हो जायेंगे। लेकिन बड़ा दु:ख है कि हमारे मंत्री जी ने आज जो संशोधन रखा है उसमें उनको निराशा मालूम हुई। 1958 से लेकर 1968 तक और इस अवधि की सीमा जब 5 अप्रैल को समाप्त हो रही है, तब तक तो आपका यह खयाल था कि केवल एक-एक वर्ष बढ़ाते रहने पर सम्भवत: स्थिति आपके काबू में आ जायेगी इसलिये एक वर्ष से ज्यादा इस कानून की अवधि में आपने कानून मे संशोधन नहीं रखा था। लेकिन ऐसी स्थिति में जब आप कह रहे हैं वहां की हालत में सुधार हो रहा है और वहां पर जो चुनाव हुये उन चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए वहां के लोगों ने अब कान्स्टीट्यूशन के अन्तर्गत रहना स्वीकार कर लिया है तो आपको इसको उसी तरह से एक वर्ष के लिये ज्यादा से ज्यादा लागू करना चाहिये था। लेकिन श्रीमन्, स्थिति बिलकुल विपरीत है और विपरीत स्थिति इसलिये है कि हमारे मित्रों ने जो वहां पर एक जायजा लिया था, जो वहा के बारे में एक प्रकार की भविष्यवाणी समझ रखी थी कि वहा पर केवल एक वर्ष के भीतर ही सारा सुधार हो जायेगा वह गलत निकली और वह इसलिये गलत निकली कि केवल नागालैण्ड का प्रश्न नहीं है, भारत सरकार की जो गलत पालिसी रही है, उनका अन्दाज जो रहा है और उनकी जो एक समझने की शक्ति रही है वह थोड़ी सी बातों पर आश्रित है, और वे यह समझते हैं कि उन बातों से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिये वे पूरा-पूरा इसका यत्न करेंगे कि वहा पर ईसाई जितने हैं उन ईसाइयों को मनाया जाये और ईसाई किसी भी तरह से अपने काबू मे आते नहीं हैं। वहां पर ईसाइयों के अतिरिक्त जो दूसरी जातियां हैं उनको आप अपने विश्वास में किसी तरह से लेने को तैयार नहीं हैं। रानी गुडालो जो वहां पर एक बहुमत दल की रानी है वह कई बार असंदिग्ध शब्दों में कह चुकी है कि भारत सरकार के प्रति उसकी निष्ठा है और वह उसको सहायता देने को तैयार है। लेकिन हमारी सरकार रानी गुडालो की बात मानने को तैयार नहीं है और जहां तक सम्भव है वहा तक फिजो की बात मानने को तैयार है और फिजो को इसके लिये उसने बारम्बार निमन्त्रण दिया। जब फिजो ने बिलकुल ही राष्ट्रवादी होने से इन्कार कर दिया तब हमारी सरकार की आंखें खुली और अब फिजो साहब के चक्कर से हमारी सरकार थोड़ा बहुत छूट रही है। "थोड़ा बहुत" शब्द इसलिये हमने कहा कि पूर्णत: अब भी वह छूटी नहीं है। आज भी हमारी सरकार के सामने शांतिवार्ता का एक टुकड़ा फेंक दिया जाये तो सरकार दो चार सालों के लिये फिर उलझ जायगी चाहे वहा पर कितने ही निरीह लोगों की हत्या होती रहे।

श्रीमन्, वहा पर नागा लोगों के तीन प्रकार के दमन चल रहे हैं। एक प्रकार का दमन तो सिविल अधिकारियों के ऊपर है। भारतवर्ष के जो सिविल अधिकारी वहां जाते हैं उनको किसी प्रकार से वे सहन करने को तैयार नहीं है और उनकी बातें सुनने को

तैयार नही है। दूसरे प्रकार का जो वहां पर दमन चल रहा है वह मिलिट्री के लोगों पर चल रहा है। मिलिट्री के बड़े-बड़े अफसर जब कही बाहर निकल कर के जाते हैं तो छापामार उनपर आक्रमण कर देते है और आक्रमण करने के पश्चात् जो उनकी सहायता करते है उन सहायता करने वाले गांव वालों के मकानों में भी आग लगाते हुये जहाँ से मिलता है वहाँ से, पाकिस्तान से या चीन से हथियार लेकर के निःशस्त्र लोगों पर आक्रमण कर देते हैं। आज से पाँच छः दिन पहले भारतीय सेना का एक बड़ा मेजर वहा पर मारा गया और हमारी सरकार ने इतनी हिम्मत नहीं की कि उस मेजर के साथ में कितने लोग मारे गये, वे नागरिक मारे गये या मिलिट्री के मारे गये, और कितना नुकसान हुआ, इसके बारे में कोई प्रेस विज्ञप्ति ही प्रकाशित कर दे और चुपचाप केवल यह कह दिया कि विवरण की प्रतीक्षा है। तो आज भी वहां पर यह हालत है और किसी प्रकार से नागा लोग अपने बस में नहीं आ रहे है। मिजो और नागा, इन दोनों जातियों के अतिरिक्त और भी जातियां जो छोटी मोटी वहां पर है वे भी इन लोगों से प्रोत्साहित हो कर के भारत सरकार की इस खोखली नीति के कारण वहां का जो क्षेत्र है उसको उपद्रवग्रस्त बना रही है।

तो इस संदर्भ में जो यह बिल आया है इसमें हम मंत्री महोदय से पांच प्रकार के आश्वासन चाहते है। अगर भारत सरकार की पालिसी अचूक है, अगर आप अपने आप को बहुत सबल मानते है तो आप को उपद्रव करने वालो से आगे कोई बातचीत नही करनी चाहिये। आज से दो दिन पहले होम मिनिस्टर श्री चह्वाण साहब ने लोक सभा मे कहा कि अब हम मिजो लोगों के साथ किसी भी शर्त पर बात नहीं करेंगे। उन्होंने बड़े जोर के साथ यह बात कही, लेकिन अगर कहीं जय प्रकाश नारायण जी बीच में आ गये तो शायद वे फिर झुक जायें और झुकने के बाद फिर उनके चरणों पर गिर जायें। तो यह तो ढीली पालिसी है इसको हम लोग ही नही, नागा लोग भी मनुष्य है, वे भी बुद्धि रखते है और वे भी समझते है कि जब तक कि भारत सरकार दबी हुई जबान मे बोलती है या उसकी ढीली नीति है तब तक इन लोगों को दबाते जाओ, इनकी विशाल सेना हमारा कुछ करने वाली नही है। यह उन लोगों के मस्तिष्क की मनोवृत्ति है कि इनको उलझन में रख कर के उस दिन की प्रतीक्षा करो कि कभी शायद पाकिस्तान और चीन किसी प्रकार से सीमा पर आक्रमण कर दे और उस समय हम उनके साथ मिल करके नागालैण्ड की स्वतन्त्रता के लिये कोई आन्दोलन की शुरूआत कर दें। इस लिये मै चाहता हूं कि भारत सरकार पांच बातों का आश्वासन दे। पहली बात यह है कि जो विद्रोही मिजो या नागा लोग हैं उनसे किसी प्रकार से शांतिवार्ता नही होनी चाहिये। अगर वे शांति के लिये दब जायें और आप के सामने आयें तब भी उनसे दरवाजा बन्द कर के बेरुखी से बात करनी चाहिये। ऐसे लोग जो दस वर्षो से बराबर भारत सरकार के विशाल संयंत्र को परेशान करते चले आ रहे हैं, उन लोगों से कोई किसी प्रकार की बात चीत का दरवाजा खुला नही रखना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि भारत सरकार को इस बात की गारंटी देनी चाहिये कि तथाकथित कुछ लोग जिन के मस्तिष्क विकृत हो गये है, जो शांतिवार्ता की रट लगाते रहते हैं, उनका शांतिवार्ता के नाम पर वहां पर पीस मिशन सरीखा कोई किसी प्रकार का मिशन नहीं जाने दिया जाय क्योंकि कुछ तथाकथित ऐसे चार छः लोग है जो राजनीति से संन्यास लेने की बात करते है और फिर राजनीति मे घुसते है, आगे बढ़ते है, और भारत सरकार का ऐसे राजनीतिक नेता यदि इशारा पा जायेंगे तो फिर वे लोग वहां पर जायगें और वहां से वे फिर लंदन की यात्रा

[श्री निरंजन वर्मा]

करेंगे और लंदन की यात्रा और कोहिमा की यात्रा, ये दोनों यात्राएं मिल कर के शांति-वार्ता में गतिरोध उत्पन्न करेंगी । तो दूसरा आश्वासन क्या आप यह देने को तैयार हैं कि अब आगे चल कर के जब तक यह उपद्रवग्रस्त इलाका है और इन लोगों का मस्तिष्क उपद्रव करने पर तुला हुआ है तब तक शांतिपूर्वक वार्ता के लिये किसी पीस मिशन इत्यादि को वहां पर नहीं जाने दिया जायेगा ।

तीसरी बात यह है कि क्या वहां पर सुधारवादी कार्यक्रमों को अपनाने को आप तैयार है या नहीं । उदाहरण के लिये हमने एक दिन कहा कि नागा प्रदेश भारत के भूभाग का वह प्रदेश है जहां पर साक्षरता केवल 12 प्रतिशत है, तो वहां पर आपने साक्षरता बढ़ाने के लिय कोई यत्न किया या नहीं । क्या आपने वहां पर अस्पतालों के निर्माण के लिये और स्कूलों के निर्माण के लिये कोई यत्न किया या नहीं । इसके साथ-साथ जो वहां पर स्कूलों में शिक्षा की पद्धति है उसमें भारत राष्ट्र की पद्धति, भारतीय राष्ट्रीयता और संस्कृति को अपनाया जाये इसके लिये आपने कोई यत्न किया या आप का दृष्टिकोण केवल यही है कि विदेशी मिशनरी जो वहां पर जाल फैलाये बैठे हैं वे अपनी संस्कृति वहां पर पनपाते रहें । तो क्या आप यह गारंटी देने को तैयार हैं कि आप अपने सुधारवादी कार्यक्रम वहां पर अपनायेंगे ।

चौथी बात यह है कि जितने वहां पर ऊधम करने वाले है उनको किसी प्रकार से क्षमा नहीं करना चाहिये । जितने उपद्रव करने वाले हैं, जो आतंक में विश्वास करते हैं, जो बम फैंकते हैं, जो निरीह लोगों के मकानों में आग लगाते हैं और जो भारत सरकार की देखादेखी अपना अलग टैक्सेशन लगा कर के वहां की स्थिति को बिगाड़ते हैं, वे कभी भी क्षमा के योग्य नहीं हो सकते । उदाहरण के लिये, आप की नाक के नीचे वहीं पर उनका झंडा फहराता है और आप का जहां पर आफिस है वहीं पर उनके गुप्त आफिस की बैठक होती है, वहीं पर उनकी सारी कार्रवाई होती है । ऐसे लोगों को पकड़ करके जल्दी से जल्दी आप उनको कठोर दण्ड देंगे, इस तरह का आश्वासन देने को आप तैयार हैं या नहीं।

और पांचवी बात यह है कि वहां नागालैण्ड को आप एक नया काश्मीर न बनाएं, वहां सबको जाने की आज्ञा दें, वहां पर एक प्रकार का व्यवहार करने की आज्ञा दें, वहां पर जाकर बसने की आज्ञा दें, वहां के लोग जिस प्रकार जमीन को ले सकते है, मकान बना सकते हैं, सम्पत्ति का अर्जन कर सकते हैं, उसी प्रकार भारत के शेष लोगों के लिए वहां पर सुविधा हो, और सब लोगों के लिये वहां पर जाने की, स्वतन्त्रता से घूमने की, अपनी बात को कहनेकी, अपने धर्म का प्रचार करने की और सम्पत्ति को हस्तगत करने की सब बातें अगर आप करने को तैयार हैं तो श्रीमान् वहां की समस्या सुलझ सकती है । अगर आप यह करने को तैयार नहीं हैं तो तीन वर्ष के लिये आपने संशोधन रखा है, तीन वर्ष के बाद 1972 में आप 10 वर्ष के लिए संशोधन लाएंगे लेकिन आज उससे कुछ होने वाला नहीं हम समझते है कि बुद्धिमान मंत्री जी इस पर विचार करेंगे और इस प्रकार का आश्वासन देने की कृपा करेंगे ।

श्री शीलभद्र याजी (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक की ताईद करते हुए, जिस तरह से हमारे पूर्व वक्ता वर्मा जी ने सरकार को कुछ सलाह दी है, यह कहूंगा कि सरकार की नागालैण्ड के मुताल्लिक जो पालिसी रही है, वह सिर्फ गलत ही नहीं रही है बल्कि वीकनीड रही है, कमजोर रही है और दब्बू पालिसी रही है जिसकी वजह से कितने ही लोग मर गए और कितने ही लोगों को तकलीफ हुई है। गांव के गांव जो भारत के साथ थे, चूंकि हमने उनको प्रोटेक्शन नहीं दिया, उनको बचाया

नही, इसलिए सब होस्टाइल्स के साथ हो गए, विद्रोहियो के साथ हो गए । बदकिस्मती तो यह है कि नागालैण्ड का कोहिमा जिला, मोकोकचुंग और त्वेनसांग का एरिया, मिजो, मनीपुर का चार सबडिवीजन और आसाम सब एक राजनैतिक ज्वालामुखी पहाड़ पर बैठा हुआ है। बदकिस्मती यह भी है कि अमरीका, ब्रिटेन, चाइना और पाकिस्तान इन चारो का मिलन इसी जोन में जाकर हो गया है । यह ठीक है कि हम साल पर साल अधिकार देते हैं लेकिन जिस तरह से जो होस्टाइल नागा हैं उन पर कार्यवाही होनी चाहिए वह नहीं होती क्योंकि केन्द्र से उनको छूट मिल जाती है । हम जानते हैं क्योंकि हर महीने में हम नागालैण्ड जाते है, कोई महीना नहीं होता जब हम नागालैण्ड, त्रिपुरा और मनीपुर न जाते हो ।

कल हमारे भार्गव जी ने बताया कि अमरीका के जो क्रिश्चियन मिशनरी लोग हैं उनका क्या ध्येय है और वे क्या करना चाहते हैं भारत मे, उसका उन्होंने एक खाका दिया। आज होल ईस्टर्न जोन मे, नागालैण्ड में, मनीपुर मे, मिजो मे, आसाम मे अमरीका के इशारे पर, ब्रिटेन के इशारे पर, चाइना के इशारे पर और पाकिस्तान के इशारे पर लोग काम कर रहे है। जिस तरह से पाकिस्तान बना, उसी तरह से एक क्रिश्चियन स्टेट इंडिया के बाहर बनाने का इनका बड़ा लम्बा चौड़ा प्रोग्राम है, उस पर करोड़ो रुपये ये खर्च कर रहे है। हमारी सरकार का जो इनटेलीजेंस डिपार्टमेंट है मैं नही जानता वह कैसे फकशन करता है। हमारे खुद के काम ऐसे हैं---चाहे पंडित जी की गलती हो या किसी की लेकिन गलती आपने की--- कि मालूम होता है कि नागालैण्ड विदेश मे हो क्योंकि आपने उसे एक्सटर्नल एफेयर्स मिनिस्ट्री में रखा है, होम मिनिस्ट्री मे नही रखा । जो नागा आपके साथ है उनमें से कुछ यह भी कहते हैं कि हम नागालैण्ड के हैं जैसे वह भारत का हिस्सा न हो। आप महाभारत के वक्त से देखिए, दीमापुर में भीम गए, अर्जुन गए बराबर वह हिन्दुस्तान का हिस्सा रहा, आसाम का एक जिला रहा । जहां आपने उसे अलग राज्य कर दिया वे उसको हिन्दुस्तान से अलग करने की बात कर रहे हैं। सब विदेशियों का कुचक्र है और यह आपकी ढिलाई और आपकी नेकनीयती की वजह से हो रहा है। दुनिया को दिखाने के लिये हम बड़े प्रेम और मुहब्बत से काम लेते हैं। प्रेम और मुहब्बत ठीक है अगर इनसानो से सामना हो । चीन के इशारे पर, पाकिस्तान के इशारे पर यदि वे इनसान हैवान बन जाये तो फिर हैवान के साथ किस तरह व्यवहार होना चाहिए ? हमारे आदमियो को वे ले जाते हैं तो बोटी बोटी काट-काट कर मारते है, इनसान की तरह नही मारते हैं। यह जो अधिकार आपको मिल रहे हैं, यह कुछ अधिकार नही है, ये तो मामूली अधिकार हैं ।

ठीक है इलेक्शन आए, इलेक्शन मे मौजूदा नागालैण्ड सरकार की जीत हुई है, मतभेद हुए है लेकिन जो होस्टाइल नागा हैं उनका एक पैक्ट हुआ है चीन के साथ पीकिंग में कि अभी छुटपुट काम करते रहे और जब उधर से चीन की चढ़ाई होगी वे भी काम शुरू करेंगे । इसलिए अभी वे चुप हैं लेकिन उनकी साजिश चल रही है । नागालैंड मे ही नही, मनीपुर का आधा हिस्सा जो माओ सबडिवीजन और उखरूल तथा तामे लैंग सब डिवीजन आदि हैं वह सब विद्रोहियो से भरा हुआ है। आपने गलती की कि इन तीन सब डिवीजनो को, मनीपुर की सरकार से पूछे बिना, उसमें शामिल कर दिया, अब सब होस्टाइल्स की एक्टिविटीज मनीपुर मे हो रही है। वे बर्मा आते जाते रहते हैं । खुशी की बात है कि बर्मा की सरकार आपकी मदद कर रही है लेकिन खतरा बहुत ज्यादा है। यह जरूर है कि जो मौजूदा सरकार है नागालैण्ड की उसका हमें समर्थन करना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए ।

[श्री शीलभद्र याजी]

श्री वर्मा न आपको पाच सलाहे दी, मै केवल एक सलाह देता हू कि जो होस्टाइल्स है उनका मारिए नही, पीटिए नही, एरेस्ट करके नागालैण्ड म निकाल कर किसी दूसरे प्रान्त मे जाकर खेती कराइए, दूसरे मुल्को मे ऐसा हुआ है।

श्री महेश्वर नाथ कौल (नाम निर्देशित) पता कैसे लगेगा कि होस्टाइल कान ह ?

श्री शीलभद्र याजी आजकल जितने अन्डरग्राउन्ड थे वे सब एबव-ग्राउन्ड हो गए है। हम आपको बता देंगे, वे आर्म लेकर चलते है, बन्दूक लेकर चलते है क्योकि वे कहते है कि अब सीजफायर है। ठीक है उन नागा विद्रोहियो मे अब विभेद हो गया है और इस इलेक्शन के वक्त ऐसा बताया गया है। उन मे भी कुछ लोग यह समझते थे कि चीन के साथ समझौता नही होगा, चीन के साथ समझौता होने से उनमे विभेद हो गया है। यदि विदेशी लोग बीच मे नही पडते तो शाति हो जाती लेकिन चूकि पाकिस्तान के ढाका मे, चटगाव मे, सिलहट मे उनकी सैनिक ट्रेनिंग होती ह, तथा चीन के पीकिग मे ट्रेनिग होती है, इसलिए शाति नही हो सकती। यह मामला 18 वर्ष स चला आ रहा है, कितने वर्ष और चलेगा। इस नुक्ते निगाह से आपको काम करना पडेगा। विदेशी ईसाई मिशनरी लोग वाशिगटन मे, लदन में बैठ-बैठ कर योजनाए बनाते है। फिजो वाशिगटन जाता है, लदन जाता है। हमने जिन्ना को कायदेआजम जिन्ना बनाया और फिर वह गाधी जी का पूछता नही था और आरामकुर्सी पर बैठ कर उसने देश का विभाजन करवाया, सबको कम्युनल माइन्डेड बनाया। वही गडबड ईस्टर्न जोन मे की जा रही है। इन पादरियो को आपने क्या क्या फ्रीडम दी है, करोडो रुपए लाकर, सबको होस्टाइल बनाकर अब क्रिश्चियन स्टेट बनाना चाहते हैं। एक मिजो मे बनने जा रही है, एक आसाम मे बनने जा रही है, इसके बाद कहा कहा बनेगी। मणिपुर के 4 सबडिवीजन जो पहाडी है जिन्हे नागालैंड के लोग नागालैण्ड मे लाना चाहते है। यह लडाई बन्द नही होने वाली है, तीन वर्ष के बाद यहा फिर आना है, तब तक यह बनी रहेगी जब तक हमारा चीन से झगडा है, पाकिस्तान स झगडा ह। तो पार्लियामेट का फर्ज हो जाता ह, कर्त्तव्य हो जाता है कि अपनी सरकार को उनको दबाने के लिए अधिकार दे। यह हमारे लिए शर्म की बात है कि होस्टाइल सेना आकर खुले आम परेड करे और हमारी सेना बैठी रहे क्योकि दिल्ली से हुक्म नही जाता कि कोई कार्रवाई करो। मुझको यह कहने मे शर्म आती है कि यदि किसी सैनिक ने एक्शन लिया तो उसका कोर्ट मार्शल हुआ है। यह सब चीज हो रही है यह वैसे ही है जैसे मिस्टर जिन्ना को कायदे आजम जिन्ना बना दिया। फिजो के बारे मे और रेवरेड माइकेल स्काट के बारे मे जब हमने बयान दिए तो लोग बिगडे, जय प्रकाश नारायण के बारे मे इसी हाउस मे मैंने क्या कहा था और आप लोग बिगड गए थे। जितने फ्रस्ट्रेटेड पोलीटीशियन्स सर्वोदयवादी है, बम्बई मे रहते है वे गडबड करते है--मनीपुर की सरकार को बधाई देना है--वे लोग पीस मिशन के नाम पर मनीपुर जाना चाहते थे लेकिन वहा की सरकार ने उन्हे जाने नही दिया क्योकि ये वहा जाते है और हमारी सरकार को गाली देते है कहते है कि एक्सेस हुई है

5 P. M.

सरकार की तरफ से, मिलटरी को सीज़ फायर तोडने का व दोष देते हैं। तो उन लोगो मे ये पीस मिशन वाले जाकर यह रिपोर्ट करते है। इसलिये उन लोगो को वहा घुसने नही दीजिए और जो लोग चाइना से रिटर्न होकर आए है उन पर आप कडी निगरानी कीजिए, उनको वहा से निकालिए। वर्मा जी ने ठीक कहा, जब तक वह असम मे था तब तक सब लोग बस सकते थे अब नागालैण्ड हो गया अब कोई नही बस सकता है। तो जिस तरह से जम्मू और काश्मीर में है,

नेफा का क्षेत्रफल पश्चिमी बंगाल के बराबर है वहां भी बीमारी आने वाली है, नेफा मे 2 लाख या तीन लाख की आबादी है, पश्चिमी बंगाल के बराबर उसका क्षेत्रफल है, तो वहा लोगों को बसाइये और बसने दीजिए, नागालैण्ड में बसाइये। इसी तरह से यहा भी जो आप विशेषाधिकार दे रहे है उसका प्रयोग कीजिये।

उपसभाध्यक्ष (श्री महावीर प्रसाद भार्गव) : याजी जी आप अब खत्म कीजिये।

श्री शीलभद्र याजी : अभी खत्म कर रहा हूं। तो जितना हम विशेषाधिकार दे रहे हैं, आप एक अधिकार यह भी देना चाहते हैं जो यह रेस्ट्रिक्शन रख रहे है, कोई यहां नही बस सकता। तो फिर संस्कृति कैसे एक हो सकती है। वह कहते है भारत की संस्कृति से हमारा मतलब नही है। अगर ऐसा है और वह अपने को अलग संस्कृति के कहने लग जाये तो मिलन कैसे होगा। वह गलत रास्ते पर भटक जाते है। और होता क्या है? लाखो करोडो रुपया उनकी मदद के लिये आज वाशिंगटन से और लंदन से आता है। उनको दबाइये और जितने अधिकार आप नागा होस्टाइल्स को दबाने के लिये मांगें उनको लेकर उनको निकाल बाहर कीजिए। इस मौजूदा नागा [illegible] सरकार का जनता ने चुन लिया है [illegible] को मान कर उनको सब मदद दी।

मै बहुत सी बात आपके इस हाऊस के सामने कहना चाहता था लेकिन मैं फिर बाद मे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को उनके बारे मे बोलूंगा कि किस तरह से वह हमारे लोगो से चन्दा लेते है, हमारे ठेकेदारो से लेते हैं और लोग स्वेच्छापूर्वक उसको देते हैं। मैं इन सब का वर्णन नही करना चाहता हाउस मे . . .

एम. पी. श्री महेश्वर नाथ कौल : कह तो दिया है।

श्री शीलभद्र याजी : अभी बहुत सी बाते रह गई है, कौन कौन देते हैं। बडा भंडाफोड हो जायेगा जो देश की सुरक्षा के लिये अच्छा नही होगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री महावीर प्रसाद भार्गव) याजी जी, हाउस मे नही बोलना है तो अब खत्म कीजिए।

श्री शीलभद्र याजी : लेकिन एक चीज जरूर कहता हू कि आप अपने इन्टेलिजेंस डिपार्टमेंट को और अपनी फौज जो रखे हुए है उनको सचेत कीजिए। जिस तरह से अधिकार आप ले रहे है वह अधिकार हम देना चाहते है लेकिन अफसोस यह है कि इनके बावजूद काम कुछ होता नही है, लोग मारे जा रहे है, हमारे ब्रिज टूट रहे है। इसलिये हम आपको अधिकार तो देना चाहते है, लेकिन उन अधिकारो का ठीक तरह से प्रयोग होना चाहिये। आज इस तरह का चक्कर है, जो वाशिंगटन मे, ब्रिटेन से, पीकिंग मे, रावलपिंडी चारो का जो मिलन हुआ है उस चक्कर को तोड़ने के लिये आप कड़ी से कडी कार्यवाही करें।

इन शब्दो के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हू।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) : The House stands adjourned till 11.00 A.M. tomorrow.

The House then adjourned at three minutes past five of the clock till eleven of the clock on Thursday, the 27th February, 1969.